न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम. गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/3159 विरुद्ध आदेश दिनांक 01.09.2017 पारित द्वारा तहसीलदार तह0 नटेरन जिला विदिशा प्रकरण क्रमांक 44/अ-27/2016-17

---

1. चन्दन सिंह पुत्र श्री मुंशीलाल मीणा
2. रामबाई पत्नी चंदन सिंह
3. दयाराम पुत्र श्री चुदन सिंह मीणा,
   निवासी- बडखेडा अडवाड, तहसील
   नटेरन, जिला विदिशा (म.प्र.) .....**आवेदकगण**

विरुद्ध

फूल सिंह पुत्र श्री मुंशीलाल मीणा
निवासी- हीरापुर तह0 शमशाबाद
जिला विदिशा (म.प्र.) .....**अनावेदक**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.बी. शर्मा

आदेश
(आज दिनांक 21/08/2018 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार तह0 नटेरन जिला विदिशा प्रकरण क्रमांक 44/अ-27/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 01.09.2017 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा ग्राम वरखेड़ा अडवाड स्थित भूमि खसरा नं. 243/1 रकवा 1.870 हे., 243/2 रकवा 1.870 हे. एवं 243/3 रकवा 2.490 हे. भूमि के बंटवारा तहसील न्यायालय के

समक्ष संहिता की धारा 178 के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार ने आदेश दिनांक 01.09.2017 द्वारा पैतृक संपत्ति के वारिसानों के अनुसार फर्द बंटवारा पेश करते हुए पटवारी को पत्र जारी करने के आदेश दिए। तहसीलदार के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदक अधिवक्ता को दिनांक 02.05.2018 को लिखित तर्क प्रस्तुत करने हेतु सात दिवस का समय दिया गया था, परंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अत: प्रकरण का निराकरण रिकॉर्ड के आधार पर किया जा रहा है।

4. अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही को उचित बताते हुए यह निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

5. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि माननीय सिविल न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को पैतृक संपत्ति माना है तथा स्वत्व का निराकरण हो जाने के कारण पुन: स्वत्व का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। उक्त आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी को फर्द बंटवारा पेश करने हेतु पत्र जारी करने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई न्यायिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। प्रकरण का निराकरण अभी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गुण-दोष पर होना है, जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। परिणामत: यह निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर